

नियुक्त अर्थी दिनांक 25-5-99  
 नियुक्त अर्थी के अन्दर कार्यभार ग्रहण न  
 किया जाये तथा नियुक्त अर्थी को  
 कार्यभार ग्रहण की सूचना देना सुनिश्चित करें।  
 कार्यभार ग्रहण की सूचना देना सुनिश्चित करें।  
 कार्यभार ग्रहण की सूचना देना सुनिश्चित करें।

राज्य शिक्षा निदेशक,  
 उच्च शिक्षा विभाग,  
 उत्तर प्रदेश।

राज्य शिक्षा निदेशक,  
 उत्तर प्रदेश।

दिनांक: 1-5-1999  
 1899-1999/3-3-25-वीं [कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर], 1-5-1999

प्रतिनिधि तुलना एवं आयोग कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-  
 1- संपूर्ण निदेश, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ/बुन्देलखण्ड क्षेत्र,  
 उत्तरी/मध्य क्षेत्र, लखनऊ/पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी।

2- सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्य को इस आदेश से प्रेषित कि वे अपनी  
 शिक्षा में कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर के रिक्त पद पर/संस्था में कम्प्यूटर  
 प्रोग्रामर-आपरेटर के पद पर अभिवृद्धा के आधार पर नियत वेतन पर कार्यरत  
 कर्मिकों के स्थान पर उच्च समिति द्वारा नियुक्त अर्थी को कार्यभार ग्रहण  
 कराना सुनिश्चित करें। नियुक्त अर्थी के कार्यभार ग्रहण करने पर नियत  
 वेतन पर कार्यरत कर्मिकों की सेवायें समाप्त हो जायेंगी।

कृपया यह नियुक्त अर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके  
 अस्तित्व/प्राप्ति/प्राप्ति की भी भली भाँति जाँच कर लें तथा उनके कार्यभार  
 ग्रहण की सूचना निर्धारित तिथि से बाद तुरन्त निदेशालय को उपलब्ध कराना  
 सुनिश्चित करें।

- 1- सम्बन्धित अर्थी को उनके पते पर।
- 2- प्रकरण सहायक सी.सी. रेनु एडवोकेट/श्री आर.जी.तिवारी।

राज्य शिक्षा निदेशक,  
 उच्च शिक्षा विभाग,  
 उत्तर प्रदेश।

राज्य शिक्षा निदेशक,  
 उच्च शिक्षा विभाग,  
 उत्तर प्रदेश।